#shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 21.07.2022

साइबर क्राइम व थाना सदर बाजार पुलिस को मिली बडी कामयाबी,

करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़

बिहार के जालसाजों सहित 05 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, विभिन्न बैंकों के 40 से ज्यादा खातों में एक करोड़ से ज्यादा की ठगी करने के मिले ट्रांजैक्शन, 10 एटीएम, दो चेकबुक, 04 पासबुक, मोबाइल, जाली आधार कार्ड, खातों के विवरण आदि बरामद।

पूर्व मे साइबर ठगी से सम्बन्धित शिकायतो के आधार पर थाना रामचन्द्र मिशन व थाना कोतवाली पर क्रमशः 1-मु0अ0सं0 305/22 धारा 419/420/406 भादवि थाना रामचन्द्र मिशन 2-मु0अ0सं0 356/22 धारा 419/420 भादवि थाना कोतवाली शाह0 पंजीकृत किया गया था।

वर्तमान परिदृश्य मे साइबर ठगी की घटनाओं को देखते हुए श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा साइबर ठगी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के व श्री अखंड प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री नीरज सिंह के नेतृत्व मे साइबर क्राइम टीम गठित कर अपराध कारित करने वाले अपराधियों के गिरोह की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देश दिए गए तथा पुलिस टीम का पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा स्वयं किया जा रहा था।

इसी क्रम में दिनांक 21.07.22 की प्रातः को साइबर क्राइम सेल व थाना सदर बाजार की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सदर बाजार थाना क्षेत्र के खिरनी बाग के पास धर्मशाला में अचानक छापेमारी कर बिहार के जलसाजों सहित पांच शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 10 एटीएम, 04 पासबुक, चेकबुक, खातों के विवरण, जाली आधार कार्ड आदि बरामद किया गया। इस संबंध में थाना सदर बाजार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1-गौतम कुमार पुत्र दिलीप रविदास निवासी ग्राम लखनूबीगा थाना अस्थामा जनपद नालंदा बिहार प्रदेश

2-सचिन कुमार पुत्र राजेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम नौवा थाना अस्थामा जिला नालंदा बिहार

3-पवन मिश्रा पुत्र सत्यनारायण मिश्रा निवासी स्टेशन रोड जेबी गंज थाना पसगवां जनपद खीरी

4-बालिस्टर सिंह पुत्र सियाराम यादव निवासी ग्राम कुईया खेड़ा थाना पसगवां खीरी

5-राजेश पुत्र मैकूलाल निवासी कुंइया खेड़ा थाना पसगवां खीरी।

बरामदगी का विवरणः-

1- 10 एटीएम,
2- 04 पासबुक,
3- 02 चेकबुक,
4- करीब 40 बैंक खातों के विवरण,
5- 02 जाली आधार कार्ड

पूछताछ का विवरण व कार्यक्षेत्रः-

अभियुक्तों ने पूछताछ में यह बताया की बिहार में काफी बड़े पैमाने पर पूरे देश के लोगों से फोन व इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न तरीकों से ठगी करके उनके अकाउंट से रुपयों की ठगी करने का काम होता है जिसके लिए उनको काफी अधिक मात्रा में बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है जिससे कि ठगी से प्राप्त रुपयों का लेनदेन किया जा सके। यह अपराधी इतने

शातिर है कि ठगी करते ही पीडित के खाते से प्राप्त रूपयों को विभिन्न बैकों के खातों में ट्रांसफर कर- कर के पुलिस का समय व्यर्थ करते हैं जिससे कि पुलिस अगर एक बैंक खाते तक पहुँचती थी उससे पहले ही खाते से रूपये अन्य खातों मे ट्रास्फर कर एटीएम से पैसा निकाल लेते थे।

इसी क्रम में जनपद नालंदा बिहार के रहने वाले अरविंद व विकास ने अकाउंट का इंतजाम करने का काम सचिन व गौतम को दिया था जो कि वहां से यहां खातों का इंतजाम करने आते थे। यहां उनका संपर्क बालिस्टर, राजेश व पवन मिश्रा से था जो शाहजहांपुर लखनऊ व खीरी आदि जनपदों में भोले भाले लोगों से बैंक के बाहर मिलते थे तथा उनको लोन देने के नाम पर उनके नाम से नया बैंक अकाउंट खुलवा लेते थे तथा धोखधडी कर उनका एटीएम, चेकबुक, पासबुक आदि ले लेते थे तथा उनको बताया जाता था कि आपका अकाउंट खुल गया है आपका एटीएम चेक बुक और पासबुक कोरियर से आपके घर आ जाएगा। इसके बाद बालिस्टर, राजेश व पवन इन एटीएम, चेकबुक व पासबुक को प्रति एकाउंट 10000 रूपये में गौतम व पवन को दे देते थे जो इन खातों को ले जाकर बिहार में अरविंद व विकास को देते थे तथा उनसे 20 से 25 हजार प्रति अकाउंट नगद प्राप्त कर लेते थे। अरविंद का विकास लोगों से धोखाधड़ी करके इंटरनेट वर् फोन के माध्यम से विभिन्न तरीकों से धोखाधड़ी करके उनके अकाउंट से पैसा अपने अकाउंट अपने इन्हीं अकाउंट्स में इन्हीं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते थे तथा उनको अधिक से अधिक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद एक अकाउंट से पैसा एटीएम के माध्यम से नगद निकाल लेते थे।

इसके साथ साथ यह लोग जिनके बैंक अकाउंट लेते थे उन्हीं से उनका आधार कार्ड भी ले लेते थे तथा आधार कार्ड में एडिटिंग कर विभिन्न मोबाइल कंपनियों से सिम ले लेते थे तथा उन्हीं नंबर्स को यह लोग अलग में अकाउंट में अपडेट कर लेते थे तथा वह सिम अपने पास रखते थे जिससे कि वह उस पर यूपीआई आईडी, पेटीएम, गूगलपे, फोनपे व इंटरनेट बैंकिंग आदि बनाकर रुपयों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे। अभी तक इनके द्वारा 40 से अधिक विभिन्न बैंक अकाउंट की जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें अब तक एक करोड से ऊपर के लेन देन का पता लगा है। अधिक पूछताछ की जा रही है पूछताछ के आधार पर अभी काफी बैंक अकाउंट और मिलने की संभावना है इसमें और अधिक पैसों का लेनदेन की जानकारी होगी इनके अन्य साथियों की के बारे में भी जानकारी की जा रही है।

<u>पंजीकृत अभियोगः-</u>

1- मु0अ0सं0705/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना सदर बाजार।

<u>अनावरित अभियोगो का विवरणः-</u>

1-मु0अ0सं0 305/22 धारा 419/420/406 भादवि थाना रामचन्द्र मिशन शा0।

2-मु0अ0सं0 356/22 धारा 419/420 भादवि थाना कोतवाली शाह0

<u>पुलिस टीम का विवरणः-</u>

1-नीरज सिंह प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम सेल

2-उ0नि0 श्री नागेंद्र तिवारी थाना सदर बाजार

3-कां0 राजुल कुमार साइबर क्राइम सेल

4-कॉ0 विशाल चौधरी सर्विलांस सेल

5-कॉ0 विक्रांत देवल साइबर क्राइम सेल

6-कॉ0 मुकुल खोकर सर्विलांस सेल

7-हे0कां0 नीरज थाना सदर बाजार

8-कां0 रोहित कुमार थाना सदर बाजार

9-हे0 कां0 हारून मलिक थाना सदर बाजार

10-कां0 अमित कुमार थाना सदर बाजार